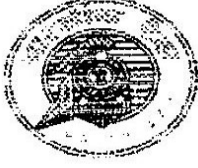


पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-०४-२०१७

क्रमांक-४०/२०१७

आरबीएच सं०-१४/२०१७

सं० ई/९/७/भाग-११/चार

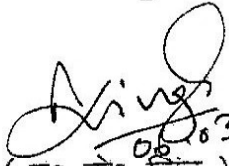
दिनांक ०६-०३-२०१७

सचिव/महाप्रबन्धक,
सचिव/अपर महाप्रबन्धक,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-रेलवे के मूक और बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दो गुनी दरों पर परिवहन भत्ता प्रदान करना।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या V/२०१४/ए/टीए/१ दिनांक २२.०२.२०१७ की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

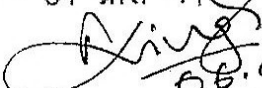
संलग्नक/यथोपरि


(ए० के० सिंह)
०६.०३.१७

उपमुकाधि/अराज
कृत महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - ४० प्रतियों में।
- २- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- ३- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - ०२ प्रतियों में।
- ४- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-०२ प्रतियों में।
- ५- मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - ०१ प्रति में।


०६.०३.१७
कृत महाप्रबन्धक/कार्मिक

पूँजीतर रेलवे, गोरखपुर
23 FEB 2017
R.B.
महानिबन्धक 2 सचिव

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board/रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VII/374
No. PC-V/2014/A/TA/1

RBE No. 14/2017
New Delhi, dated 22.02.2017

The General Managers/CAOs(R)
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

N.E.Riy

Sub:- Grant of Transport Allowance at double the normal rates to deaf and dumb employees of Railways.

In supersession of Railway Board's letter of even number dt. 19.03.2014 (RBE No.28/2014) regarding admissibility of Transport Allowance at double the normal rates to employees who are deaf and dumb, it is stated that the matter has been re-examined and it has been decided with the approval of Competent Authority that Transport Allowance at double the normal rates is admissible to Hearing Impaired employees also in addition to employees who are both deaf and Dumb.

2. Transport Allowance at double the normal rates would be admissible to the 'Hearing Impaired employees having loss of sixty decibels, or more in the better ear in the conversation range of frequencies' as per Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

3. The admissibility of Transport Allowance at double the normal rates to above categories of employees is subject to recommendation of the Head of ENT Department of a Railway or Government Civil Hospital and fulfilment of other conditions applicable in respect of other disabilities mentioned in Railway Board's letter No. F(E)-78/AL-7/5, dated 23.10.1978 read with Board's letter dated 12.09.2008 (RBE No.111/2008).

4. These orders would be effective from 19.02.2014.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Hindi version is enclosed.

451

(N.P.Singh)

Dy. Director, Pay Commission - V
Railway Board

{Authority: MoF's OM No.20/2/2016-E-II(B), dt.17.01.2017}

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 14/2017

क्र.सं. पीसी-VI/374

सं.पीसी-V/2014/ए/टीए/1

नई दिल्ली, दिनांक 22.02.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे)

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेलवे के मूक और बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दोगुनी दरों पर परिवहन भत्ता प्रदान करना।

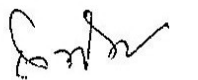
रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.03.2014 (आरबीई नं. 28/2014) के समसंख्यक पत्र, जो मूक एवं बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता प्रदान करने के संबंध में हैं, के अधिक्रमण में यह सूचित किया जाता है कि इस मामले की फिर से जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि उन कर्मचारियों को जो मूक एवं बधिर दोनों हैं, के अतिरिक्त कम श्रवण शक्ति वाले कर्मचारियों को भी सामान्य दरों से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता अनुमेय है।

2. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार 'उन कम सुनने वाले व्यक्तियों जिनके कम खराब कान में वार्तालाप के रेंज की फ्रीक्वेन्सी (conversation range of frequencies) के भीतर सुनने में 60 डेसिबल अथवा उससे अधिक की हानि हुई हो, को सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता अनुमेय होगा।

3. रेलवे अथवा सरकारी सिविल अस्पताल के ईएनटी विभाग के हेड की सिफारिश पर और रेलवे बोर्ड के दिनांक 23.10.1978 के पत्र सं. एफ(ई)1-78/एएल-7/5 जिसे बोर्ड के दिनांक 12.09.2008 (आरबीई सं. 111/2008) के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, में उल्लिखित अन्य लागू शर्तों के पूरा करने पर ही, उपर्युक्त कोटियों के कर्मचारियों को सामान्य दरों से दोगुनी दर पर परिवहन भत्ता अनुमेय होगा।

4. यह आदेश 19.02.2014 से प्रभावी होंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(एन.पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V

रेलवे बोर्ड.

{प्राधिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 17.01.2017 का कार्यालय जापन सं. 20/2/2016-ई.11(बी)}